

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या
19/2021

रजू दिनांक
26.02.2021

निर्णय दिनांक
20.09.2022

// उनवान //

- 1 औमराज पुत्र हसंराज (फौत)
- 1/1 पूनम यादव पत्नी औमराज
- 1/2 कामना यादव पुत्री औमराज नाबालिंग जयें सरप्रस्त माता पूनम यादव पत्नी हसंराज
- 1/3 कार्तिक यादव पुत्र औमराज नाबालिंग जयें सरप्रस्त माता पूनम यादव पत्नी हसंराज जातियान अहीर
निवासीयान दरबारपुर तहसील मुण्डावर हाल 41 साहब जोहड़ा अलवर राजस्थान।

:- वादीगण

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जयें लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:- प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरुस्ती
इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी

उपस्थिति:- 1 श्री सुभाष चन्द शर्मा- वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक- 20.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 1190/0.82, 1334/0.35 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर वादी गुड्डू उर्फ औमराज का हिस्सा विवादित आराजी कहलायेगा। मिन वादी को गांव में गुड्डू भी कहते हैं और वास्तविक नाम औमराज है। वादी के पिता की फौतगी पर विरासत में औमराज की जगह गुड्डू अंकित हो गया है एवं परिवार राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, बैंक खाता, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात सभी औमराज के नाम से बने हुये तथा कृषि आराजी में मिन वादी का नाम विरासत से गुड्डू दर्ज हो गया है जिससे मिन वादी के खातेदारी अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ता है अर्थात क्रेडिट कार्ड, लोन आदि लेने में असुविधा हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड में गुड्डू नाम को दुरुस्त कराकर औमराज नाम दर्ज कराने का अधिकारी है आदि-आदि अंकित करते हुये वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर बाद विधिवत तलबी जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ जिसके मुताबिक प्रकरण रिकॉर्ड स्तर तक स्वीकार है अंकित करते हुये शेष जिम्मन वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्मत 2071-2074 प्रदर्श-1, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श-2, परिवार राशन कार्ड प्रदर्श-3, आधार कार्ड औमराज प्रदर्श-4, नकल जमाबन्दी सम्मत 2055-2058 प्रदर्श-5, नकल जमाबन्दी सम्मत 2051-2054 प्रदर्श-6, नकल जमाबन्दी 2067-2070 प्रदर्श-7, नकल जमाबन्दी सम्मत 2063-2066 प्रदर्श-8, पैन कार्ड औमराज प्रदर्श-9, असल अंकतालिका कक्षा-8 औमराज प्रदर्श-10, मृत्यु प्रमाणपत्र



औमराज प्रदर्श-11, जनआधार कार्ड प्रदर्श-12 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पूनम यादव पत्नि स्व0 औमराज पीडब्ल्यू-1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये वादी के औमराज पुत्र हंसराज नाम के बाबत के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजात के बाबत के रिकॉर्ड दावा पत्रावली में पेश कर दिये जाने जिनमें वादी का नाम औमराज पुत्र हंसराज नाम का होना तथा विरासत से आई खातेदारी आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जरिये विरासत गुड्डू नाम का दर्ज चला आ रहा होना जो नाम गलत है का निवेदन करते हुये विवादित आराजियात के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम गुड्डू को हजफ किया जाकर गुड्डू के स्थान पर औमराज अंकित किये जाने के आदेश दिये जाकर वाद वादी डिक्री किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकर उपरांत वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के आ0ख0नं0 1190/0.82, 1334/0.35 है0 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजियात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में गुड्डू पुत्र हंसराज के नाम के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं गुड्डू के बजाय औमराज पुत्र हंसराज नाम का अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पंकज बडगूजर)

न्यायालय सहायक कलक्टर,
मुण्डावर अलवर, राज0